

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।

अप्र० ५०८
१५/३/१४
५-५५८८८
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : ५ मार्च, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मूलभूत नगरीय सुविधाएँ एवं आवास (एस०सी०एस०पी०) योजनान्तर्गत जनपद-देवरिया की ०२ परियोजनाओं हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4291/76/एक/एवीएमबीवीयाई/2016-17, दिनांक ०१ फरवरी, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'मूलभूत नगरीय सुविधाएँ एवं आवास (एस०सी०एस०पी०) योजनान्तर्गत' वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-देवरिया की न०प्र०, भाटपार रानी व सलेमपुर एवं न०पा०परि०, देवरिया की विभिन्न मालिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग २६ परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-८१/२०१५/२७५५/६९-१-१४-४(एससीपी)/२०१४ दिनांक २२ जनवरी, २०१५ द्वारा कुल रु० ३३६.९९ लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का ५० प्रतिशत अर्थात रु० १६८.४९५ लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में जारी की गयी थी। उक्त परियोजनाओं में से न०प्र०, भाटपार रानी व सलेमपुर तथा न०पा०परि०, देवरिया की १५ परियोजनाओं हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में रु० ११०.०१५ लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-३५८/२०१६/२८९८/६९-१-२०१५-४(एससीपी)/२०१४, दिनांक २८ अप्रैल, २०१६ द्वारा जारी की जा चुकी है। अतः वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 से उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से न०पा०परि०, देवरिया की ०२ परियोजनाओं हेतु संलग्न तालिका के स्तम्भ-६ में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में रु० १३.८८५ लाख (तेरह लाख अट्ठासी हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि की लिम्नलिखित शर्तों/प्रतिवन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

१. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र० लखनऊ यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
२. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-६ के अध्याय-१२ के प्रस्तर-३१८ में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

४१, जीवन/भारत का अभियान
—

क्रमशः.....2

(2)
—१५१३११८

3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर व्यय करने से पूर्व परियोजनाओं को जनपद स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
5. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को अवमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य वर्तमान तथा भविष्य में किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम से न तो स्वीकृत किया गया है और न वर्तमान में किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा कि स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
6. प्रश्नगत योजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन यथा कार्यों के आकार में वृद्धि एवं विशिष्टियों में परिवर्तन आदि नहीं किया जायेगा। प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन आदि एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रस्तावित कराया जाना अनिवार्य होगा।
7. उक्त धनराशि का प्रयोग उसी प्रायोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है, किसी प्रकार का व्यायावर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते/पीएलए में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
9. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र० लखनऊ द्वारा विशेष संयुक्त सचिव/विशेष सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं ग्रीष्मी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा। उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-२ के शासनादेश संख्या-ए-२-२३/दस-२०११-१७(४)/७५, दिनांक २५.०१.२०११ में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत प्राविधिक बजट की धनराशि से लेखाशीर्षक “2217-शहरी विकास-04-गन्दी वस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-मूलभूत नगरीय सुविधाएं एवं आवास-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)” के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/वी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्ता।

भवीय,
१५/३/१८

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या- ४६/2018/250(1)/69-1-2018 तिदिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्ययाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, ३०प्र०, २० सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, देवरिया।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जयाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-८) अनुभाग, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, ३०प्र०, शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)


अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-८६ /2018/250/69-1-18-4(एस0सी0पी0)/2015, दिनांक १५ मार्च, 2018
का संलग्नक।

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	परियोजना की कुल लागत	द्वितीय/मंत्रिम किरत के रूप में स्वीकृति की जाने वाली धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	देवरिया	न०पा०प०, देवरिया	वार्ड नं० ०७ शान्तीनगर में गुड्ह के मकान से अहमद के मकान तक तथा छेठी के मकान होते हुए बब्ल घर्मा व राजकुमार के मकान तक इंटरलाइंग, नाली एवं मिट्टी सोलिंग निर्माण कार्य।	18.26	9.13
2	तर्दैव	न०पा०, भाटपार रानी	वार्ड नं० १३ बुजौली कालोनी वार्ड में भारत गैस गोदाम के दक्षिण कैडिड सिटी स्कूल से फातिम के घर होते हुए मंगली टोला तक इंटरलाइंग रोड नाली का निर्माण कार्य।	9.51	4.755
योग				27.77	13.885

(तेरह लाख अट्ठासी हजार पांच सौ मात्र)


(अधिलानन्द द्वाहाचारी)

✓ अनु सचिव।